दिनांक 10/07/2024-मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 01 अभियुक्त को कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने किया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 07 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा हुआ बरामद

माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के "ड्रग फ्री देवभूमि 2025" के विजन को साकार करने के लिए एसएसपी देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी तथा नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

जिसके क्रम में कोतवाली ऋषिकेश पुलिस द्वारा दिनांक 09/07/2024 को आकास्मिक चैकिंग के दौरान ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय ऋषिकेश से एक अभियुक्त को 07 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली ऋषिकेश में मु0अ0सं0-373/2024, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह ध्याड़ी मजदूरी का काम करता था, उक्त गांजे को वह मेरठ से खरीद कर लाया था, जिसकी छोटी छोटी पुड़िया बनाकर वह स्थानीय मजदूरों व शिक्षण संस्थानों के छात्रों को ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है।

नाम पता अभियुक्त

अखिलेश शर्मा पुत्र स्व0 श्री बिक्रम दत्त शर्मा निवासी ग्राम किशन पुरा, बागपत रोड, टीपीनगर, मेरठ, उम्र 27 वर्ष।

बरामदगीः-

07 किलो 500 ग्राम गांजा

पुलिस टीम-(1) उ0नि0 नवीन डंगवाल, (2) का0 अभिषेक, (3) का0 दिनेश महर , (4) का0 कुलदीप सिह, (5) का0 विकास कुमार